<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी— राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 18/2018

बउनवान

नाथूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र केशरा जाति—कुम्हार निवासी—बस स्टेण्ड के पास मॉगरोल जिला—मॉगरोल जिला—बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1—शंकरलाल पुत्र केशरा जाति—कुम्हार निवासी—मॉगरोल
2—देवीलाल पुत्र केशरा जाति—कुम्हार निवासी—मॉगरोल
3—अब्दुल वहींद पुत्र सरदारखान जाति—मुसलमान निवासी—मॉगरोल
4—राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल
5—उप पंजीयक अधिकारी, मॉगरोल तहसील—मॉगरोल (रेस्पोंडेंटस)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा <u>तस्दीकी इन्तकाल नं0 2328 दिनांक 29.06.2018 ग्राम मॉगरोल अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :—1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री अजीतसिंह चौहान, अभिभाषक (रेस्पो. कम—1)
3. श्री कमलदीप सिंह हाडा,अभिभाषक (रेस्पों. कम—3)

<u>निर्णय दिनांक— 27.01.2021</u>

1— अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2328 दिनांक 29.06.2018 वाके ग्राम मॉगरोल से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 केम्प मुकाम मॉगरोल में दिनांक 29.06.2018 को इन्तकाल नं0 2328 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये खोला है जो सर्वथा न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि कस्बा मॉगरोल में आराजी ख0नं0 161 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 217 रकबा 1.39 है0, ख0नं0 2964 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 2974 रकबा 0.77 है0 कुल [illegible] के संबंध में उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल में वाद अन्तर्गत 53, 188 आरटीए प्रस्तुत [illegible] है जो दिनांक 13.06.2017 को उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल द्वारा [illegible] पर खारिज फरमाया गया। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबंध [illegible] राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible] के यहॉ अपील संख्या 106/17 दिनांक 12.07.2017 को पे[illegible] हुई, जिसे माननीय [illegible]लय द्वारा सुनवाई कर दिनांक 04.12.2017 को निर्णित करते हुये अपील आंशिक स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.06.2017 अपास्त कर, पत्रावली उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की गयी कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त कर, उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सीरे के निर्णय पारित करें तथा पक्षकारान् को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होने से पाबन्द किया। जिसपर रेस्पो. क्रम–1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया गया तथा दिनांक 29.06.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प मॉगरोल में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गयी, जिसमें कोई आदेश पारित नहीं किया। जबकि मौके पर सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार व उप पंजीयक मॉगरोल पक्षकार मौजूद थे, फिर भी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा अपीलांट को बिना सुने एवं मूल विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2017 में नोट अंकित होते हुये उक्त इन्तकाल संख्या 2328 दिनांक 29.06.2018 को तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पो. क्रम–1 व 2 के मध्य ग्राम मॉगरोल में किता 4 रकबा 2.54 है0 सहखातेदारी में आराजी स्थित है, जिसका बटवारे का वाद उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा वाद व इन्ट्रीम स्थगन दिनांक 13.06.2017 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में दायर की गयी तथा स्थगन प्राप्त किया गया, जो अपील निर्णय तक प्रभावी था। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा अपील में दिनांक 04.12.2017 को निर्णय पारित किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल का आदेश दिनांक 13.06.17 निरस्त कर, पत्रावली अप्रार्थीगण का जवाब प्रा0पत्र प्राप्त व उभयपक्ष की बहस सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

4— प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में जेरकार व स्टे होने के बावजूद रेस्पों0 क्रम 1 व 2 में उक्त आराजी रेस्पो. क्रम–3 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर दी है। जिसपर उप पंजीयक, मॉगरोल द्वारा जानकारी होते हीं स्पष्ट नोट अंकित किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का स्थगन होने तक नामान्तकरण की कार्यवाहीं नहीं की जावे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा दावा उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल में लंबित व रजिस्ट्री पर स्टे का नोट होने के बावजूद अपीलांट को बिना सुनवाई व अपना पक्ष रखने मौके दिये बगैर, न्याय आपके द्वार अभियान–2018 केम्प मुकाम मॉगरोल में एकपक्षीय इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल स्टे के बावजूद खोला गया है जो न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल व विधि विरूद्व होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इन्तकाल संख्या 2328 दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम—1 ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट विवादित आराजी का सहखातेदार है जो अपने हिस्से की आराजी बेचान करने का हक व अधिकार रखता है। जिस वक्त भूमि का बेचान किया है उस उक्त कोई स्थगन नहीं था। वर्तमान में विवादित आराजी का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में लंबित है, जिसमें पक्षकारान् के हक अधिकार तय होगे। अपीलांट को इन्तकाल की अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है। अपील खारिज फरमायी जावे।

6— साथ हीं विद्वान अभिभाषक रेस्पों. क्रम—3 ने कथन किया कि उसने विवादित आराजी खातेदार शंकरलाल व देवीलाल से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद की है। तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर जो नोट अंकित है वह राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में जेर अपील तक हीं प्रभावी है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2017 को निर्णय पारित हो चुका है। इन्तकाल 29.06.2018 को खोला गया है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन अनुचित है कि स्टे होने के बाद नामान्तकरण खोला गया है। तहसीलदार भू स्वामी है, जिसने रेकार्ड की जॉच कर, उक्त इन्तकाल खोला है। इन्तकाल में कोई त्रुटि नहीं है। चूकि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में दावा विचाराधीन है, जिसमें विभिन्न पहलुओं की जॉच व परीक्षण होकर, अधिकार तय होंगे। इन्तकाल समरी ट्रायल कार्यवाहीं है। अतः दावा विचाराधीन रहते, इन्तकाल अपील में सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों. क्रम—1 व 3 अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट व रेस्पों. क्रम 1 व 2 के कस्बा मॉगरोल में सहखातेदारी की आराजी ख0नं0 161 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 217 रकबा 1.39 है0, ख0नं0 2964 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 2974 रकबा 0.77 है0 कुल किता—4 रकबा 2.54 है0 अवस्थित है। जिसमें से रेस्पो. ने अपनी हिस्से की आराजी रेस्पो. क्रम—3 को बेचान कर दी है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का इन्तकाल नं. 2328 दिनांक 29.06.2018 को तस्दीक किया गया है जिसकी अपील अपीलांट ने प्रस्तुत की गयी है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य [illegible] कि पक्षकारान् के मध्य उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल में दावा विचाराधीन रहते व राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा का स्थगन प्रभावी होने तथा दोनो पक्ष स्थगन से पाबन्द होने के बावजूद रेस्पों. द्वारा अपने हिस्से की आराजी रेस्पों. क्रम—3 अब्दुल वहींद को बेचान की गयी है। स्थगन को नोट रजिस्ट्री पर स्पष्ट अंकित है। किन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा न्याय आपके द्वार—18 केम्प मॉगरोल में रेस्पो. क्रम—3 के पक्ष में दिनांक 29.06.2018 को इन्तकाल नं0 2328

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक किया गया है। इसके विपरीत रेस्पों. क्रम–1 का तर्क है कि अपीलांट को वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में दावा लंबित रहते अपील लाने का अधिकार नहीं है तथा रेस्पों. क्रम–3 का कथन है कि उसने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय की है। उक्त इन्तकाल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोला है। जिस समय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल खोला है, तत्समय किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं था। चूकि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में दावा विचाराधीन है, जिसमें विधिक अधिकार तय होंगे। अपील खारिज फरमायी जावे।

8– इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी के बटॅवारे के संबंध में उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में तत्समय दावा विचाराधीन रहा जिसमें उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल द्वारा दिनांक 13.06.2017 को इन्ट्रीम स्टगन प्रार्थनापत्र खारिज किया गया जिसकी अपील अपीलांट ने दिनांक 12.07.2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के न्यायालय में दायर की गयी जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा अपीलांट के पक्ष में स्थगन जारी किया गया। इसी बीच रेस्पों. क्रम 1 व 2 ने अपने हिस्से की आराजी रेस्पों. क्रम–3 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर दी है। जबकि बेचान के समय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा का स्थगन प्रभाव में था। इसी कारण उप पंजीयक मॉगरोल ने रजिस्ट्री पर स्थगन होने का नोट अंकित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा उक्त अपील दिनांक 04.12.2017 को निर्णित फरमायी गयी है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। जिसपर उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल में सुनवाई जेरकार है। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा न्याय आपके द्वार केम्प–18 मॉगरोल में उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया है।

9– इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पो. क्रम 1 व 2 द्वारा अपीलीय न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद दिनांक 16.11.2017 को रेस्पों. क्रम–3 को बेचान किया गया है। तत्समय स्थगन का प्रभाव में था। उप पंजीयक मॉगरोल द्वारा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पर स्थगन का नोट अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा दिनांक 29.06.2018 को इन्तकाल तस्दीक किया गया है। इस प्रकार जाहिर है कि उक्त बेचान व इन्तकाल राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के स्थगन एवं उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में दावा लंबित रहते केम्प न्याय आपके द्वार–18 मुकाम मॉगरोल में खोला गया है। उक्त तस्दीकी इन्तकाल न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

10– परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील [illegible] की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल [illegible] 2328 [illegible] 29.06.2018 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त किया जाता है।

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested